प्र.सं. 4/2022 वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस्थान उद्योग कॉपोरेशन बांसवाड़ा बनाम लक्ष्मण

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.11.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के सर्वे नंबर 1178/1 रकबा 0.07, 7046/954 रकबा 0.11 एयर, खाता संख्या 521 पुराना 398 नया के आराजी नंबर 1178/2 रकबा 0.07 एयर, खाता संख्या 596 पुराना 453 तथा 1182 रकबा 0.07, खाता संख्या 308 पुराना 159 वाके ग्राम भगोरा में स्थित है। वर्ष 1992 में ग्राम भगोरा में RIICO प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवप्त की गयी थी, जिसमें वादीगण के उक्त नंबरान की भूमि भी अवाप्त सूची में दर्ज की गयी थी, परन्तु उक्त भूमि का प्रतिवादीगण द्वारा आज तक कब्जा नहीं लिया गया, न ही वादीगण द्वारा उक्त भूमि का कभी मुआवजा प्राप्त किया गया, जिस कारण आज भी राजस्व रेकार्ड में भूमि वादीगण के नाम दर्ज होकर उनके उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु आज से करीब 8 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 ने आकर वादीगण को भूमि का कब्जा छोड़ने को कहा तथा धमकी दी, जिस पर वादीगण द्वारा पूंछने पर बताया कि उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से भूमि क्रय की गयी है। वादीगण की उक्त भूमि अवाप्ति सूची में दर्ज थी, लेकिन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 एवं 1984 की धारा 11 के अन्तर्गत अवार्ड पारित हुए 5 वर्ष से अधिक हो जाने पर भी कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजा नहीं दिया गया है तो ऐसे मामले स्वतः व्यवगत समझे जायेंगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी भूमि हड़पना चाहते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि रीको द्वारा अवाप्त की जाकर मुआवजा राशि का चेक संख्या 130399 वादीगण को दिया जा चुका है तथा रीको द्वारा नियमानुसार भूमि अवाप्त कर आवासन मण्डल को स्थानान्तरित की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible]रण [illegible] 4 तनकियात कायम की गयी एवं तनकी[illegible] अपने निर्णय दिनांक 18.03.2021 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिसके विरु[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:41 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ओर से वकील श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोविड 19 में लॉकडाउन के दौरान निर्णय पारित किया गया, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को नकल प्राप्त करने पर दिनांक 24.02.2022 को हुई। अतः मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 09.04.2018 को तनकियात हेतु मुकर्रर की गयी थी। तत्पश्चात् दिनांक 17.10.2019 को तहसीलदार की ओर से मौका रिपोर्ट की नकल प्रतिवादी अभिभाषक को उपलब्ध कराये जाने व वादी अभिभाषक द्वारा आराजी नंबर 1024, 1052, 955 की भूमि अवाप्ति में होने तथा उक्त प्रकरण की भूमि अवाप्त नहीं होने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रतिवादी/अपीलान्टगण को संलग्न दस्तावेज की छाया प्रति के अभाव में नकल नहीं दी गयी और पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22.10.2019 नियत की गयी। दिनांक 22.10.2019 से लगातार तारीख पेशी दिनांक 04.03.2021 तक पत्रावली दस्तावेज पेश होने व बहस हेतु नियत रही। तत्पश्चात् दिनांक 18.03.2021 को अचानक बहस सुनकर निर्णय पारित कर दिया गया, जो त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि निर्णय बिना साक्ष्य लिये आनन–फानन में पारित किया गया है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा दिनांक 26.12.1996 को 51384.31 रूपये मुआवजा राशि प्र[illegible] गयी है तथा दिनांक 11.12.1998 को पटवारी हल्का [illegible] के प्रतिनिधि को कब्जा नियमानुसार सिपुर्द किया [illegible] है। प्रीमियम राशि भी माह सितम्बर 1998 में जमा करा दी [illegible]ी थी, लेकिन अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने उपरोक्त राजकीय दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.04.2018 अनुसार पत्रावली वास्ते कायम तनकियात दिनांक 30.04.2018 नियत थी, किन्तु उसके बाद करीब 33 पेशियों तक तनकियात कायम नहीं की गयी एवं अचानक दिनांक 04.03.2021 को तनकियात कायम कर बिना प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिये मात्र बकुलाय पक्ष की बहस सुनकर दिनांक 18–3–21 को तनकियात निर्णित कर दी गई। तनकियात को निर्णित करने हेतु निर्धारित/विधिवत प्रक्रिया की पालन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनिश्चित नही की गयी। अतः कायम शुदा तनकियात पर बिना पक्षकारों की साक्ष्य लिये जो निर्णय पारित किया है, वह प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियात पर पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर एवं उभयपक्षों को सुनकर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.01.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं अधिनस्थ अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:41 IST
Reason: SelfAttested